[निजी प्रसार के लिए]

अंक ३७ नई दिल्ली, मार्च २०१३

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई. जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'वैज्ञानिक सहायता से जाँच करने पर थर्ड डिग्री की आवश्यकता ही नहीं'

श्री सत्यव्रत बंसल

उत्तराखण्ड पुलिस महानिदेशक श्री सत्यव्रत बंसल से पुलिसिंग सम्बन्धित बुनियादी मुद्दों पर ज़ीनत मलिक द्वारा लिए गए साक्षात्कार के अंश यहाँ प्रस्तुत हैं।

सर, उत्तराखण्ड पुलिस का नेतृत्व सम्भालने के बाद आपने प्रदेश में पुलिसिंग की दिशा को किस रूप में ले जाने का लक्ष्य रखा था? इस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

प्रदेश की पुलिस में वास्तविक पुलिसिंग जैसे कि अपराध निवारण एंव केसों को हल करना, जाँच की गुणवत्ता और कानून–व्यवस्था में दक्षता बढ़ाने की ओर प्रयास किये गये हैं। जिसमें हम धीरे–धीरे लक्ष्य की और बढ़ रहे है।

क्या पुलिस द्वारा अपने कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए और यदि इससे अपराधों को रोकने में सहायता भी मिलती है तो, कानूनों का थोड़ा बहुत तोड़ना–मरोड़ना उचित कहा जा सकता है?

कानूनी कार्यवाही में कोई शॉट–कट नहीं होता है। जब कभी भी कोई ऐसा करता है तो अदालतों में अपराधी को इसका लाभ मिल जाता है। चाक चौबन्द व्यवस्था द्वारा ही अपराधों पर नियन्त्रण रखा जा सकता है और अपराधी को दोषी साबित कराया जा सकता है।

क्या आरोपी के मानवाधिकारों की सुरक्षा करने के कारण अपराधियों को दण्ड दिलाना और पीड़ित के प्रति पुलिस के दायित्वों के निर्वाह में कोई कमी रह जाती है?

ऐसा नहीं है। आजकल वैज्ञानिक तरीके से विवेचनाऐं की जाती हैं। फौरेंसिक लैब (FSL) द्वारा दी गयी रिपोर्ट अकाटय होती है जिससे कई बातों का पता स्वंय ही लग जाता है। इसके अलावा अधिकतर केसों में अभियुक्त की अपराध स्थल पर उपस्थिति पर सवाल उठाए जाते हैं जो कि उसकी कॉल डिटेल रिपोर्ट (CDR) से स्पष्ट होती है। ऐसे में थर्ड डिग्री की आवश्यकता नहीं है और न ही आज के समय में लोगों में इसे बर्दाश्त करने की शक्ति है। जैसे कुछ महीने पहले हमारे यहाँ काशीपुर में ४-५ हत्याएं हुई थीं और अभियुक्तों ने हत्या करने के बाद पंजाब पुलिस की सहायता लेकर, वहाँ किसी से उन्होंने पहले ही बात कर रखी थी स्वंय को किसी छोटे–मोटे आपराध में गिरफ़्तार करा लिया था। जब उसकी सी.डी.आर. जाँच हुई तो समय–समय पर उनकी स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त हो गई और फिर हमने पंजाब पुलिस को वह विवरण देकर अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया। बाद में शामिल पुलिसकर्मियों को पंजाब पुलिस ने बर्खास्त कर दिया। जब वैज्ञानिक तरीकों का सावधानी पूर्वक उपयोग होगा तो किसी प्रकार के शारीरिक बल के उपयोग की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

किसी केस में सभी सम्बद्ध लोगों के मानवाधिकारों की सुरक्षा और अपराधों की जाँच और रोकथाम में तालमेल बिठाने के लिए किस प्रकार की कार्यनीति होनी चाहिए?

प्रत्येक केस में जाँच के लिए वैज्ञानिक तरीकों की मदद के द्वारा ही अपराध का सफल अनावरण सम्भव है। प्रत्येक अपराध के घटित होने के बाद के १२ घण्टे उसके अनावरण के लिये (Golden Hours) सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तुरंत कार्यवाही करना व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १६१ के अंतर्गत सही तरीके से लिये गये बयान अपराधों की रोकथाम व सजायाबी हेतु उत्तम हैं। यह सम्पूर्ण जाँच का मूलमंत्र होता है। इसलिए प्रत्येक जाँच अधिकारी को इसके अंतर्गत अच्छी और विस्तृत जानकारी शिकायतकर्ता से प्राप्त करनी चाहिए। इसके आधार पर जाँच में बहुत सहायता मिलती है। इस पर व्यापक समझ प्रदान करने के लिए मैंने खुद एक कार्यशाला आयोजित करके प्रशिक्षण दिया था।

इसके बाद से आगे की कार्यवाही के तौर पर प्रत्येक केस के लिए एक केस अफ़सर नियुक्त किया गया है जोकि दो स्तरों पर – एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में और दूसरा सेशन कोर्ट में। इसके अंतर्गत प्रत्येक केस अफ़सर को १० केस दे दिये गये हैं जिन्हें केस की सुनवाई की तारीख़ पर केस से सम्बन्धित सभी आवश्यक वस्तुओं को (केस प्रॉपर्टी), गवाहों आदि को अदालत में प्रस्तुत करना होता है।

प्रदेश पुलिस दुारा कमज़ोर वर्गों– महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के विरुद्ध अपराधों को राकने के लिए कौन से विशेष उपाय किये गये हैं?

प्रदेश पुलिस को संवेदनशील बनाये रखने के लिये समय–समय पर कार्यशालाएं की गयी हैं व मेरे द्वारा अलग से दिशा निर्देश भी जारी किये गये हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिये हेल्पलाईन गठित की गयी है, वरिष्ठ नागरिक सेल की स्थापना भी की गयी है।

क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा *प्रकाश सिंह के केस* में दिये गये दिशा–निर्देशों को पूर्ण रूप से लागू करने से वर्तमान पुलिसिंग व्यवस्था में सर्वांगी सुधार आने की सम्भावना है? यदि 'हां' तो इनसे किस प्रकार सहायता मिल सकती है? या इस बदलाव के लिए कोई और विकल्प हो सकता है?

पारदर्शिता पुलिस कार्य में होना अनिवार्य है। अकसर पुलिस के कार्य में पक्षपात किये जाने का आरोप लगाया जाता हैं। प्रकाश सिंह केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों को पूर्णतः लागू किया जाना अवश्य ही हित कर होगा। इन दिशा–निर्देशों से पारदर्शिता परिलक्षित होगी।

इन्हीं दिशा–निर्देशों के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित पुलिस शिकायत प्राधिकरण को, पुलिस नेतृत्व का क्या सहयोग प्राप्त है?

पुलिस प्राधिकरण को पुलिस विभाग से पूर्ण सहयोग प्राप्त है। प्राधिकरण से प्राप्त सुझावों पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप पूरी तरह कार्यवाही की जाती है।

अंत में, *लोक पुलिस* पत्रिका के बारे में आपकी क्या राय है?

पत्रिका द्वारा आपसी तालमेल से अन्य राज्यों के अनुभव का लाभ उत्तराखण्ड राज्य को भी प्राप्त हो रहा है। बहुउपयोगी पत्रिका द्वारा पुलिस विभाग, विशेषकर थाना स्तर के अधिकारियों को अपनी दक्षता बढ़ाने में सहायता मिल रही है।

बूझो और जीतो-१५

प्रिय पाठकों,

लोक पुलिस पत्रिका द्वारा आपके लिए इस रोचक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत गत वर्ष की गई थी और इसके प्रति आपकी रुचि के कारण इस वर्ष भी इसे जारी रखा गया है। इसके अंतर्गत पहले की ही तरह आपसे केवल ५ प्रश्न पूछे जाएंगे और पाँचों के सही उत्तर मिलने पर लकी ड्रा से विजेताओं का नाम निकाला जाएगा। यदि किसी के ५ से कम प्रश्नों के उत्तर सही हों तब उसे विजेता घोषित नहीं किया जा सकता है। इस कारण ऐसा सम्भव है कि किसी अंक में कोई भी विजेता न हो।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं ताकि पाठकों को प्रविष्टियाँ भेजने के लिए पर्याप्त समय मिले। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रुपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित भी किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं:–

१. किसी राज्य के उच्च न्यायालय को किस प्रकार के दण्ड देने का अधिकार प्राप्त है?

२. क्या किसी मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह आरोपी को मृत्युदण्ड दे सके?

३. किसी आरोपी को उद्घोषणा के बाद प्रस्तुत होने के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए?

४. द.प्र.सं. के अंतर्गत इंक्वायरी क्या होती है?

५. क्या पुलिस को शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता कराने का अधिकार है?

बूझो और जीतो – १२ का परिणाम

दिसम्बर २०१२ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:–

१. भारतीय दण्ड संहिता १८६० के अनुसार उम्र कैद की अधिकतम सजा दण्डित व्यक्ति की पूरी प्राकृतिक आयु तक (ता उम्र) होती है।

२. द.प्र.सं की धारा की ३०४ के अनुसार जहाँ सत्र न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में अभियुक्त के पास अपने बचाव के लिए वकील नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होता है तो वहाँ न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर वकील नियुक्त करायेगा।

३. भारतीय दण्ड संहिता की धारा ७४ के अनुसार एकान्त कारावास एक बार में १४ दिन से अधिक का नहीं हो सकता है।

४. भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३६१ के अनुसार डकैती के लिए ५ या ५ से अधिक व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। इसलिए, 3 लोगों द्वारा की गई चोरी डकैती नहीं कहलायेगी।

५. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत यदि आरोपी अभियोग में न्यायालय के समक्ष अपनी संस्वीकृति दे देता है तो वह शिनाख्त परेड कराने से मना कर सकता है।

विजेता

१. श्रीमति कुसुम पुरोहित, डी.आई.जी. कार्यालय, पौरी, उत्तराखण्ड।

नोट : विजेता को पुरस्कार की राशी शीघ्र ही भेज दी जाएगी।

अपने पत्र हमें निम्न पते पर भेजें या ईमेल करें –

ज़ीनत मलिक
प्रधान सम्पादक, ***लोक पुलिस***
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी-११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव,
नई दिल्ली ११००१७, भारत
फोन : +९१-०११-४३१८०२००, ४३१८०२२५-२९९
फैक्स : +९१-०११-२६८६४६८८
ई-मेल : zeenatmalick@gmail.com
वेबसाइट : http//www.humanrightsinitiative.org

कांस्टेबुलरी का सशक्तीकरण-कितना सम्भव और आवश्यक?

हम आज भी अपने कांस्टेबुलरी के साथ उपनिवेशकों के समय की तरह ही व्यवहार करते हैं इसके बावजूद की उनका शैक्षणिक स्तर बढ़ाकर १०वीं तक कर दिया गया है। जबकि वास्तव में कुछ राज्यों में, अधिकांश कांस्टेबल स्नातक हैं। हालांकि, कांस्टेबुलरी को गिरफ़्तारियां आदि की शक्ति दी गई हैं, लेकिन उन्हें अभी भी अर्थपूर्ण ज़िम्मेदारी देने की आवश्यकता है, और यह वह क्षेत्र है जहाँ इस बहुमुल्य मानव संसाधन के उपयोग में मूल रूप से सुधार किया जा सकता है जोकि अधिकांश संख्या में सारे देश में उपलब्ध है।

पुलिसिंग एक ऐसी सेवा है जो स्थानीय स्तर पर प्रदान की जाती है और इसलिए कांस्टेबलों को एक छोटा कार्यक्षेत्र प्रदान करके वहाँ की शांति–व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व देने से उनमें ज़िम्मेदारी का भाव आएगा। पुलिसिंग की 'बीट व्यवस्था' जिसमें थाने के कार्यक्षेत्र को 'बीट' नामक छोटे यूनिट में बाँट दिया जाता है और प्रत्येक बीट को एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल की अधिकार में दे दिया जाता है। जबकि कांस्टेबलों को क्षेत्र में पुलिसिंग के सामान्य कार्यों में उपयोग के बजाय अधिकतर आकस्मिक गश्त के आयोजन में उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग भी इस बात से सहमत है कि बीट कार्य को केवल गश्त तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसने पुलिसिंग के जटिल कार्यों के लिए कांस्टेबुलरी पर विश्वास नहीं किया।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग और दूसरे स्थापित आयोगों और कमिटीयों ने यह सिफ़ारिश की है कि बल में अधिक संख्या में सब–इंस्पेक्टरों को लाना चाहिए ताकि कांस्टेबुलरी की संख्या बराबर हो जाए, इसका बेहतर विकल्प होगा कांस्टेबुलरी को सशक्त करना और यह आसानी से वर्तमान संगठनात्मक संरचना और कानून के अधीन हो सकता है पहले बीट सिस्टम को पुनर्जीवित करके और बीट कांस्टेबलों को बीट में, पुलिसिंग के सभी कार्यों का भार देकर और दूसरा सभी बीट क्षेत्रों को सीमाबद्ध करके ताकि वे आरंभिक शासन के दूसरे यूनिट जैसे कि देहात के इलाकों में न्याय पंचायत और शहरों में म्यूनिसपल वार्ड की तरह ताकि समुदाय के लोगों के साथ सामंजस्य और जवाबदेही एक संरचनात्मक और सहज तरीके से स्थापित हो सके। इस प्रकार, बीट एक छोटा थाना हो सकता है और बीट अफ़सर थाना प्रभारी। एक मोबाईल फ़ोन की सहायता से वह पूरे समुदाय की पहुँच में आ सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, किसी कांस्टेबल को यह इजाज़त देता है कि उसे अपराधों के जाँच का काम सौंपा जाए–इसके लिए राज्य सरकार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५७ के अंतर्गत केवल एक अधिसूचना की आवश्यकता है। आरंभिक समय में वह असंज्ञय और सम्मन केसों की जाँच कर सकता है जबकि हेड–कांस्टेबल को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सुने जाने वाले केसों की जाँच का दायित्व दिया जा सकता है। कम्पलेंट और याचिकाओं में इंक्वायरी, सम्बन्धित बीट अफ़सर द्वारा देखी जानी चाहिए (सिवाए उसके जहाँ इंक्वायरी उसी के विरुद्ध हो) और उसे शिकायतकर्ता का सम्पर्क नम्बर लेना चाहिए ताकि पर्यवेक्षक देख सकें कि वह पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट है या नहीं। कांस्टेबलों को जाँच की शक्तियां देने से सब–इंस्पेक्टरों का कार्यभार कम होगा और कांस्टेबलों का काम अधिक अर्थपूर्ण और रोचक हो जाएगा और उसमें उन्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करने और पहलकदमी करने का अवसर प्राप्त होगा।

ज़िम्मेदारी और जवाबदेही साथ–साथ काम करते हैं। बीट अफ़सर को उसके बीट में किसी प्रकार की गड़बड़ी और अपराध के लिए ज़िम्मेदार माना जाना चाहिए। एक तरह से, वह उस बीट का मालिक होगा जो लोगों की समस्याओं को देखेगा और लोगों से सम्पर्क करके उसकी गंभीरता को कम करने के उपाय ढूंढेगा, जिसमें दूसरी सरकारी और निजी एजेंसियों तथा अपने थाने, ज़िले और सर्कल अफ़सर के अधिकारियों से सहायता लेना भी शामिल है। उसकी सफलता को, उसके द्वारा अपराधों को रोकने और गड़बड़ी को ठीक करने के लिए की गई शुरुआत और रचनात्मकता के आधार पर मापना चाहिए न कि अपराधों का पता लगाने के दर से क्योंकि यह शायद ही कभी पूरी तरह पुलिस के नियंत्रण में होता है।

ज़िम्मेदारी देने से ज़िम्मेदारी का भाव उत्पन्न होता है, और नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान की सुरक्षा जैसे पुलिस के अधिदेश का स्वामित्व भाव भी पैदा करता है। कांस्टेबुलरी द्वारा पुलिसिंग के उन बुनियादी कार्यों को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता और सामर्थ्य में विश्वास करने से स्वंय उनमें कठिन परिस्थितियों से निपटने का विश्वास उत्पन्न होगा और उनका ज्ञान, चातुर्य और नेटवर्किंग लोगों को प्रभावित करके झगड़ों को पुलिस की किसी प्रतिरोधी शक्ति के यित्व उपयोग के बगैर हल करा सकेंगे। रोज़मर्रा की पुलिसिंग के लिए स्थानीय ज्ञान और सूचनाएं इसके मुख्य घटक हैं न कि इसके लिए किसी संकीर्ण विशेषज्ञता की आवश्यकता है। निःस्संदेह एक पुलिस अधिकारी को सामान्य रूप से इंटरपर्सनल वार्तालाप का कौशल, झगड़े को हल करना, विष्फोटक स्थिति जो हिंसा में परिवर्तित हो सकती है, उसकी तीव्रता को कम करना, लोगों के जीवन, सम्मान की रक्षा के प्रति व्यग्र दायित्व का भाव और लोगों की पहुँच में और आदरपूर्ण व्यवहार के साथ रहना आना चाहिए लेकिन इसके लिए चरित्र की और विभागीय सभ्यता में विकास की ज़रूरत है न कि किसी विशेष व्यवासायिक ज्ञान की। यह सारे व्यक्तित्व गुण एक कांस्टेबल भली भांति सीख सकता है, यदि उसे यह मालूम होकि इस सबकी आवश्यकता उसे दी गई बीट की ज़िम्मेदारी के लिए आवश्यक है।

फील्ड अफ़सर के तौर पर, बीट कांस्टेबल को कम से कम लेखन कार्य करने की आवश्यकता होनी चाहिए। उसके द्वारा आवश्यक आंकड़े, उसे थानों में नियुक्त सिविलियन डाटा ऑपरेटर के पास से उपलब्ध होनी चाहिए। नौकरशाही को कम करना उस स्थान पर आवश्यक है जहाँ लोगों को, परिस्थितियों को सम्भालना और पुलिसकर्मियों को फील्ड में महत्वपूर्ण काम हो।

पुलिस अफ़सर की वर्दी उसे भीड़ से अलग एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचान देती है जिसे कोई उस स्थिति में उसके पास पहुँच सकता है जहाँ आधिकारिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। रैंक पर ध्यान देने के बजाय हमें कांस्टेबुलरी को वैसी स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए सशक्त बनाना चाहिए चाहे वह किरायेदार और मालिक मकान का झगड़ा हो, नौजवानों के ग्रुप में झगड़ा हो, कोई अपराध हो, आपदा हो या हादसा जहाँ कहीं भी सामान्य माहौल बहाल करने की, दोषियों को पकड़ने और गड़बड़ी के लिए लोगों को ज़िम्मेदारी देने की आवश्यकता हो, वह कानून के अनुसार अपने विवेक का उयपोग करके बीट की स्थिति को सामान्य करेगा।

कंट्रोल रूम द्वारा जनता के बुलाने पर 'आदेश और नियंत्रण' वाली पुलिसिंग दुनिया भर में, बुलाये जाने वाले पुलिसकर्मियों की उस क्षेत्र के बारे में अनभिज्ञता और नियमित रूप से वहाँ जाने वाले पुलिसकर्मियों की अनुपस्थिति के कारण असंतोषजनक पाई गई है। जो लोग ऐसे बुलावे पर गिरफ़्तारी आदि करने जाते हैं, वह शायद ही कभी जिस समस्या के लिए बुलाये गये हों, उसे हल कर पाते हैं या कठिनाई को कम कर पाते हैं। इंगलैंड में, इसको ठीक करने के लिए समुदाय में से पुलिस कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम को स्थापित किया गया ताकि समुदाय में उनकी उपस्थिति दिखाई दे। हाल ही में, लंदन की महानगर पुलिस ने कई विशिष्ट पुलिस जत्थे को तोड़ दिया ताकि इस प्रकार से मुक्त जनशक्तियों को बीट के काम पर लगाया जा सके। भारत में भी, उच्च स्तर पर कई पदों को मुख्यरूप से पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाने के लिए बनाया गया है और जिसका बहुत कम या न के बराबर कार्य स्वरूप है। इसके लिए दूसरा तरीका और रास्ता होना चाहिए एक न्यायसंगत संगठनात्मक संरचना बनाने का और दायित्वहीन पदों को समाप्त करके अधिक फील्ड अफ़सरों पर खर्च करना चाहिए, प्राथमिक रूप से बीट अफ़सरों पर ताकि बीट की नाप प्रबन्धनीय स्तर की हो सके। उसी प्रकार, उभरती हुई सम्स्याओं के प्रति हमारा जवाब विशिष्ट यूनिट बनाने का है–पर्यटकों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, कमज़ोर वर्ग, महिलाओं, बच्चों, पत्रकारों, वकीलों और अन्य के लिए। हमें चाहिए कि सर्वप्रथम बीट कांस्टेबल ऐसी सभी समस्याओं को देखें और आवश्यकता हो तो उनके लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराये जाएं।

कांस्टेबुलरी को व्यापक स्तर की ज़िम्मेदारी देना और उनके बीट में अपराध और गड़बड़ी की समस्या को पहचान कर समुदाय के सामंजस्य से उसके हानिकारक प्रभाव को कम करने, हल निकालने की कोशिश करने की आवश्यकता को कुछ समय से महसूस किया गया है लेकिन इसके किसी तार्किक परिणाम पर नहीं पहँचा जा सका है। बीट कांस्टेबल को मुख्य पदाधिकारी (वर्तमान में मुख्य पदाधिकारियों की सूची थाना प्रभारी पर ही समाप्त हो जाती है) बनाने में पुलिस की विविध प्रभावकारिता को बढ़ाने का सामर्थ्य है। यह पुलिस की शक्ति को पूरी तरह से बलपूर्वक बढाने का काम करेगा। इसमें यह भी आवश्यक होगा कि बीट कांस्टेबल का कार्यकाल निश्चित हो ताकि उसके पास स्थानीय नेटवर्क और ज्ञान विकसित करने के लिए उचित समय मौजूद हो।

– श्री जे.एस. पांडे
पूर्व पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड पुलिस

हम, ***लोक पुलिस*** के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, ***लोक पुलिस*** में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

क्या आप जानते हैं?

सरकार द्वारा आपराधिक कानून में बदलाव लाने के लिए उचित सलाह देने के लिए सेवानिवृत न्यायाधीश श्री जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के पास कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.) ने भी कुछ संगठनों के साथ मिलकर अपनी सलाह भेजी थी जिसका दूसरा भाग हम इस स्तम्भ में प्रस्तुत कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस से सम्बिन्धित मामलों में कमिटी ने अधिकतर सी.एच.आर.आई द्वारा प्रस्तावित सलाहों को ही अपनाया है।

वर्मा कमिटी के समक्ष सी.एच.आर.आई. की प्रस्तुति-भाग २

३. पुलिस योजना

सिफ़ारिश

- प्रत्येक राज्य सरकार को, राज्य सुरक्षा आयोग के सामंजस्य से पाँच सालों के लिए पुलिसिंग की सामरिक योजना बनानी चाहिए और वार्षिक योजना भी बनानी चाहिए जिसमें उस अवधि में प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों को उचित रूप से पहचान कर उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्य–योजना तय करनी चाहिए,
- योजना को राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में एक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसमें सामरिक योजना के कार्यान्वयन और इसमें उस वर्ष के सामरिक योजना के लक्ष्यों को प्राथमिकता देने वाले वार्षिक पुलिसिंग योजना का उल्लेख हो,
- समरिक और वार्षिक योजना, जिले में पुलिसिंग सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में ज़िला पुलिस प्रमुख की सलाह के बाद तय की जाए। जबकि, ज़िला पुलिस अधिक्षक अपनी राय को समुदाय के सामंजस्य से निश्चित करेंगे।
- समरिक पुलिसिंग योजना, प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक योजना आसानी से आम जनता की पहुँच में होना चाहिए।

४. पुलिस कार्य–निष्पादन माप

सिफ़ारिश

- राज्य सुरक्षा आयोग पुलिस के साथ मिलकर एक समग्र पुलिस कार्य–निष्पादन सूचक तैयार करे और उन सूचकों के अनुसार प्रगति को मापने का साधन भी तय करे।

५. भर्ती

सिफ़ारिश

- भर्ती, राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा एक पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत की जानी चाहिए। भर्ती में पादर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और मेडिकल फिटनेस सहित भर्ती के सभी मानदण्डों और प्रक्रियाओं के विवरणों को निर्धारित और प्रकाशित किया जाना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता १२वीं कक्षा या उसके बराबर होनी चाहिए। जो लोग चयनित किये जाते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से 3 वर्षों तक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिसमें काम के साथ सामुदायिक पुलिसिंग एंव कमज़ोर वर्गों जैसे कि – महिलाएं, बुज़ुर्ग, बच्चे, विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों के साथ सामंजस्य स्थापित करना भी सम्मिलित है। जो सदस्य प्रशिक्षण कार्यक्रम और शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, केवल उन्हें ही पुलिस सेवा में रखना चाहिए और उन्हें प्रारंभिक दो वर्षो तक थाने में पैट्रोलिंग और बीट ड्यूटी पर तैनात करना चाहिए जहाँ वे नागरिकों के सम्पर्क में रहकर उनका विश्वास प्राप्त करें।

६. थाना

सिफ़ारिश

- प्रत्येक थाने में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए जिसमें एक रिसेप्शन कम विज़िटर रूम, महिला और पुरूषों के लिए अलग शौचालय तथा महिला और पुरुषों के लिए अलग लॉक–अप होना चाहिए। प्रत्येक थाने में एक महिला व बाल सहायता डेस्क होना चाहिए जिसमें जितना सम्भव हो महिलाएं ही तैनात होनी चाहिए और वे उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों की शिकायतें दर्ज करें और महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित विशेष कानूनों का उपयोग करें। पर्याप्त संख्या में थाने मौजूद होने चाहिए और उनमें पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध होने चाहिए। प्रत्येक थाने और उसकी चौकी की स्थापना, इसकी स्थिति और कर्मचारियों के बारे में पारदर्शिता के साथ वहाँ की जनसंख्या, क्षेत्र, अपराध की स्थिति, कानून–व्यवस्था के मद्देनज़र काम का भार और वहाँ के निवासियों द्वारा थाने पहुँचने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हिुए नर्णय लेना चाहिए।

७. पुलिस के लिए प्रशिक्षण रूपी शिक्षा नीति

सिफ़ारिश

- सभी स्तर और रैंक के पुलिसकर्मियों के लिए एक प्रशिक्षण रूपी शिक्षा नीति विकसित की जानी चाहिए और इसे पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए। इस नीति का मकसद होना चाहिए सेवा सभ्यता बनाना और जैसे जैसे वे अपने कैरियर में प्रगति करें उचित शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करें। यह नीति इस बात को सुनिश्चित करेगी कि सभी पुलिसकर्मियों को उनके दायित्वों को पूरा करने के लिए उचित प्रशिक्षण प्रदान किय गया है और रुझान सम्बन्धी बदलाव पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसे प्रत्येक रैंक और स्तर पर पुलिसकर्मियों के कैरियर प्रगति से जोड़ा गया है। किसी प्रशिक्षण प्रोग्राम में सफ़लता पूर्वक भागीदारी को जितना सम्भव हो, विशिष्ट कार्य के लिए नियुक्ति और विभिन्न रैंक में प्रोमोशन के लिए संरचनात्मक रूप से जोड़ा जाना चाहिए।
- सभी ज़िले में विभिन्न स्तरों के पुलिसकर्मियों की सम्पूर्ण प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुसार उचित अवसंरचना और प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमताओं को बनाना चाहिए और उसे नियमित रूप से सुधारना चाहिए। राज्य की प्रशिक्षण नीतियों और उसके कार्यान्वयन के बाहरी स्रोत द्वारा आवधिक मुल्यांकन के लिए, राज्य पुलिस, भारत सरकार के पुलिस अनुसंधान एंव विकास संस्थान का उपयोग कर सकते हैं।

८. यातना निरोध विधेयक

यातना निरोध विधेयक २०१० को जल्दबाज़ी में लोकसभा में पास करने के बाद राज्य सभा की एक सेलेक्ट कमिटी के पास भेज दिया गया था। बहुत लम्बे विचार–विमर्श के बाद सेलेक्ट कमिटी ने एक संशोधित विधेयक जमा किया गया जिसमें असली विधेयक के कई प्रावधानों को बदल दिया गया है।

आज तक दोहराया हुआ विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया। हमारा यह विश्वास है कि पुलिसिंग और आपराधिक न्याय प्रणाली में पूर्ण सुधार को केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हिरासत में यातना को बंद किया जाए और दण्ड मुक्ति को समाप्त किया जाए।

सिफ़ारिश

- सेलेक्ट कमिटी द्वारा दोहराये हुए यातना निरोध विधेयक को गृह मंत्रालय द्वारा अपनाया जाए और इसे संसद में प्रस्तुत किया जाए।

९. उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देश

- उच्चतम न्यायालय ने २००६ में पुलिस में प्रमुख सुधार लाने के लिए केन्द्र और राज्यों को निम्न ६ दिशा–निर्देश दिये लेकिन किसी भी राज्य ने इन सबको पूरी तरह नहीं अपनाया है–

१. राज्य सुरक्षा आयोग का गठन
२. पुलिस महानिदेशक का चयन और कार्यकाल कम से कम दो वर्ष का हो
३. ऑपरेशन ड्यूटी पर अधिकारियों का कार्यकाल कम से कम दो वर्ष का हो
४. कानून–व्यवस्था एंव जाँच शाखा को अलग करना
५. पुलिस संस्थापन बोर्ड की स्थापना
६. पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना

सिफ़ारिश

- उच्चतम न्यायालय के सभी ६ दिशा–निर्देशों का बगैर किसी बदलाव के तुरंत पालन किया जाए।
- जो राज्य ऐसा करने में असफल हो जाएं उन पर अदालत की अवमानना के लिए कार्यवाही की जाए।

१०. मॉडल पुलिस अधिनियम

केन्द्र सरकार के कहने पर सोली सोराबजी कमिटी द्वारा मॉडल पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करके केन्द्र सरकार और उच्चतम न्यायालय को २००६ में ही दे दिया गया था। लेकिन न तो केन्द्र और न ही राज्यों ने इस अधिनियम को लागू किया है। हालांकि, कुछ राज्यों ने फेर बदल करके अपनाया है।

सिफ़ारिश

- केन्द्र और राज्य दोनों को और अधिक विलम्ब के बगैर मॉडल पुलिस कानून को तुरंत लागू करना चाहिए।
- अगर उच्चतम न्यायालय के सभी ६ दिशा–निर्देशों को जैसे कहा गया है वैसे ही तुरन्त अपना लिया जाए और इस मॉडल पुलिस अधिनियम को भी सभी राज्य लागू कर लें तब, भविष्य में एक अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था प्राप्त होगी क्योंकि यह अधिनियम उन निर्देशों को सराहता है और विस्तृत तरीके बतलाता है जिससे कि उन निर्देशों को पूरी तरह लागू किया जा सके।

– प्रस्तुति : ज़ीनत मलिक

आपके विचार

संपादक महोदया,

लोक पुलिस के नव वर्ष के अंक में दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए की गई शुरुआत के विवरण ने अच्छी और नई जानकारी प्रदान की।

हालांकि, अगर जितने कदम बतलाए गए हैं वह सब वास्तव में जारी हैं तब भी दिल्ली में लगातार महिलाओं से बलात्कार की घटना में कमी आती नहीं दिखाई पड़ रही है। यह घटनाएं पुलिस की कमियों के कारण नहीं हो रहे हैं बल्कि व्यक्ति के सामाजीकरन की त्रुटियों का प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि अपराधी भी समाज के किसी न किसी भाग का अंश हैं।

जहाँ पुलिस की चूक हो जाती है, वहाँ जनता प्रदर्शन करने लगती है और मीडिया शोर करती है लेकिन आवश्यकता है व्यक्ति की विचारशैली को बदलने का ताकि महिलाओं के प्रति नित नये अपराधों की घटना में कमी आए। पुलिस केवल निवारक उपाय कर सकती है, आपराधिक मानसिकता को परिवार में सिखाई गई मान्यताओं और उचित समझ से बदला जा सकता है।

धन्यवाद
इंस्पेक्टर, गुड़गांव
सदस्य, हरियाणा पुलिस

महोदया,

सादर नमस्कार!

लोक पुलिस के फ़रवरी अंक में वर्मा कमिटी के समक्ष सी.एच.आर.आई. द्वारा प्रस्तुत सुझावों को पढ़ कर वर्मा कमिटी की वास्तविक जानकारी प्राप्त हुई अन्यथा हमें तो केवल टी.वी. के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त हो पाती है। आपके द्वारा प्रस्तुत सुझावों में पुलिस भर्ती में १०० प्रतिशत महिलाओं की भर्ती की सलाह दी गई है। लेकिन, पहली बात तो यह है कि कोई भी राज्य सरकार इसका पालन नहीं करेगी और अगर किसी राज्य सरकार के पास ऐसी इच्छा शक्ति पैदा हो भी जाती है तो उन्हें महिलाओं के लिए उचित और विशेष अवसंरचना का प्रबन्ध भी साथ–साथ करने का निर्देश दिया जाए। ऐसा न हो कि उनकी तैनाती की संख्या तो बढ़ा दी जाए लेकिन उनके लिए आवश्यक प्रबंध न किया जाए, जिसे पहले ही राष्ट्रीय कांफ्रेंस में बतला दिया गया था जैसे कि–थानों में अलग शौचालय और कपड़े बदलने का कमरा, बच्चों के लिए पालना घर आदि। मेरे विचार में उपरोक्त का उचित प्रबंध करने के बाद ही महिलाओं की तैनाती होनी चाहिए वर्ना सरकार और पुलिस नेतृत्व दोनों ही इस पर ध्यान नहीं देंगे और महिलाएं विषम परिस्थितियों में काम करने को विवश रहेंगी।

धन्यवाद
महिला हेड कांस्टेबल, जोधपुर
स्दस्य, राजस्थान पुलिस

पुलिस समाचार- हर कोने की हलचल

महिला सुरक्षा की ओर एक और कदम

इस वर्ष फ़रवरी में केन्द्र सरकार ने महिलाओं के लिए एक संयुक्त संकट केन्द्र की स्थापना की घोषणा की है। इसका मकसद है– विशिष्ट सुविधा के तौर पर, हिंसा में घिरी महिला के लिए सभी आवश्यक सेवाओं को एक ही बिन्दू से उपलब्ध कराना।

बजट सत्र के प्रारम्भ में संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने इस स्कीम का उल्लेख किया था। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन एक पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर १०० लोक अस्पतालों में इसकी शुरुआत करेगा।

इससे पहले सितम्बर २००६ में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों को एक विस्तृत एडवाज़री भेजकर पीड़ित महिलाओं के सम्बन्ध में निर्देश जारी किया था जिसमें सबसे प्रमुख था बलात्कार पीड़ित महिलाओं की सहायता करने के लिए रेप क्राईसिस सेंटर की स्थापना का निर्देश और यौन हिंसा में ईलाज के लिए विशिष्ट यूनिट स्थापित करने का निर्देश। हालांकि, यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा।

महिलाओं के संदर्भ में उपरोक्त के अलावा, कार्यस्थल को एक सुरक्षित स्थान बनाने की मंशा से *कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (प्रतिरोध, निषेध एंव सुधार) विधेयक २०१२* को लोक सभा से पास कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार आपराधिक कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश पारित करने वाली है जिसके बाद महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा के कानूनों को अधिक कठोर बना दिया जाएगा।

एक ओर जहाँ सरकार अध्यादेश लाकर कानून में संशोधन की बात करती है वहीं नेताओं में मतभेद के कारण यह अध्यादेश फिलहाल तो पास होता नहीं दिख रहा है लेकिन महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा के केसों में कोई कमी नहीं आ रही है। इसलिए सर्वांगी सुधार और निवारक उपायों को एक साथ अपनाने से ही अपराध दर में कमी आएगी।

(सौजन्य :द हिन्दू डॉट कॉम, २२ फरवरी २०१३)

हम किसी से कम नहीं-भ्रष्टाचार में!

भ्रष्टाचार का न कोई लिंग होता है न वर्ग और न ही व्यवसाय, शायद भारत में समानता किसी और स्तर पर महिलाओं ने प्राप्त की हो या नहीं लेकिन भ्रष्टाचार करने में कहीं से कम नहीं हैं।

इसी का उदाहरण राउरकेला में तब देखने को मिला जब स्पेशल जज की अदालत (विजलेंस) ने राउरकेला के महिला थाना के एक पूर्व आई.आई.सी. को एक आरोपी से २००० रु. रिश्वत स्वीकार करने के लिए एक वर्ष के कारावास का दण्ड दिया है। अदालत ने उस पर ५००० रु. का जुर्माना भी लगाया है अगर वह जुर्माना नहीं चुकाती है तो कारावास की अवधि २ महीने बढ़ जाएगी।

सूत्रों के अनुसार ५ सितम्बर २०१२ को संजू रानी मेहर जोकि उस समय वहाँ की आई.आई.सी. थीं, ने भूषण साहु नामक एक व्यक्ति के विरुद्ध एक केस से नाम हटाने के लिए २००० रु. रिश्वत मांगा था और रंगे हाथों पकड़ी गई थी। अदालत ने उसे भ्रष्टाचार निषेध अधिनियम की धारा ७ और १३(घ) के अंतर्गत दण्ड दिया है। हालांकि, निर्णय की घोषणा के बाद मेहर ने अदालत से ज़मानत ले ली और अब वह निर्णय के विरुद्ध अदालत में अपील दायर करेंगी।

पुलिस में भ्रष्टाचार का सामान्य रूप थाना स्तर पर देखने को मिलता है और उपरोक्त केस इसका केवल एक उदाहरण मात्र है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए दोषी को दण्डित किया गया और आशा है कानूनों में उचित संशोधन करके पुलिस का बचाव करने वाले दण्डमुक्ति प्रावधानों को समाप्त किया जाएगा और यह उनके द्वारा दुर्व्यवहारों को रोकने तथा अवैधता को समाप्त करने का स्रोत बनेगा।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, २७ फरवरी २०१३)

असंतुष्ट पुलिस और भ्रष्ट व्यवस्था

उत्तर प्रदेश में जब एक डी.एस.पी. ने कुछ महीने पहले यह आरोप लगाया था कि प्रदेश का समूचा पुलिस बल भ्रष्ट हैं जिसमें स्वंय डी.जी.पी. भी सम्मिलित हैं, प्रशासन ने उस आरोप के प्रति जाँच करने के बजाय उस डी. एस.पी के विरुद्ध इंक्वायरी का आदेश दे दिया। उस समय के डी.एस.पी. श्री वी.के. शर्मा की टिप्पणी ने पूरे पुलिस विभाग को आश्चर्यचकित कर दिया था लेकिन कोई भी उनके साथ खड़े होने का साहस नहीं कर सका।

लेकिन, हाल ही में कुण्डा के डी.एस. पी. श्री ज़ियाउल हक़ की हत्या ने सभी पुलिस अधिकारियों की अंतर्रात्मा को झकझोर दिया है और अब वे अपना गुस्सा और घुटन सोशल साईटों पर प्रदर्शित करने से स्वंय को रोक नहीं पा रहे हैं।

प्रांतीय पुलिस सेवा एसोसीएशन के अध्यक्ष श्री जुगल किशोर तिवारी ने फेसबुक पर वरिष्ठ अधिकारियों को वर्तमान गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार बताया उन्होंने लिखा 'जब तक पुलिस बल में शीर्ष पर ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जो भ्रष्ट शासन और जातिवाद के गुलाम हैं और जो ईमानदार तो हैं लेकिन ग़लत और असभ्यता का विरोध करने का साहस नहीं रखते हैं, परिस्थिति में सुधार की आशा नहीं की जा सकती है।' एक अन्य पुलिस ने लिखा–'सम्पूर्ण व्यवस्था को दलालों द्वारा हाइजैक कर लिया गया है।'

मुज़फ्फरनगर कोतवाली के इंस्पेक्टर विनोद सिरोही ने लिखा–'यहाँ दलाल हैं जो यह तय करते हैं कि किस पुलिस इंस्पेक्टर की तैनाती किस थाने में होनी चाहिए या किस अपराधी को जेल भेजना है और किसको नहीं।'

पिछले वर्ष अक्टूबर में, डी.एस.पी. वी. के. शर्मा ने उस समय के पुलिस प्रमुख पर स्थानांनतरण के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। एक वर्ष के अंतराल में जुलाई २०११–अगस्त २०१२ के बीच ११ बार उनका स्थानांनतरण किया गया था। एक स्थान पर उनकी नियुक्ति की औसत अवधि २ महीने की थी।

पुलिस अधिकारियों को हमेशा मुंह बंद रखने की हिदायत अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक रूप से दी जाती है। इसी कारण व्यवस्था की कमियों को झेलने के बावजूद उनके पास उसे चुनौती देने का साहस नहीं होता, ख़ासकर तब जब शीर्ष स्तर पर मौजूद अफ़सर मध्यम स्तर के पुलिस अफ़सरों का साथ देने से घबराते हों क्योंकि उन्हें अपने राजनैतिक बॉस की उपेक्षा के बाद मनपसंद पोस्टिंग के छिन जाने का ख़तरा होता है। लेकिन, ज़ियाउल हक़ या फिर वी.के. शर्मा जैसे कुछ अधिकारी कभी–कभी बल में आ जाते हैं जो उच्च अधिकारियों और सरकार की व्यवस्था में अनफ़िट (अयोग्य) होते हैं और उनकी जान लेकर या उन्हें परेशान करके, असमय हस्तानांनतरण करके उनसे छुटकारा प्राप्त हो जाता है। मीडिया के समक्ष मृतक ज़ियाउल हक़ की पत्नी द्वारा पति की हत्या कराने का आरोप शासक दल के मंत्री पर लगाने पर उस मंत्री ने स्वंय पुलिस को सरकार का पिट्ठू दिखलाते हुए कहा कि – 'अगर किसी पुलिस अधिकारी को मारने की आवश्यकता होती तो उससे आसान था उसका हस्तानांनतरण कराना।' इससे साफ़ है कि पुलिस किस तरह सरकार के इशारों पर काम करती है।

अब इस व्याप्त भ्रष्टाचार का हल यदि असम्भव नहीं तो इतना सरल भी नहीं है। लेकिन, बहादुर पुलिसकर्मियों को अपनी बात अधिकारियों और सरकार के सामने मीडिया द्वारा लाना चाहिए ताकि जन दबाव बनाया जा सके ऐसा न हो कि कुछ ईमानदार अधिकारियों को प्रताड़ित करने के कारण, प्रताड़ना के भय से जो लोग व्यवस्था की कुरीतियों के खिलाफ़ बोलने की हिम्मत रखते हैं वह भी ख़ामोश हो जाएं। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि मीडिया भ्रष्टाचार के विरुद्ध बहुत बड़ी ताकत है और पुलिस को भी अपनी सुव्यवस्था के लिए इसका उपयोग करना सीखना होगा। जनबल और मीडिया का साथ पाकर सरकारों को पुलिस बल में व्याप्त अवैधानिकता और भ्रष्टाचार को धीमी गति से ही सही, लेकिन समाप्त करना ही होगा।

(सौजन्य : डक्कन हेराल्ड डॉट कॉम, ७ मार्च २०१३)

रक्षक बने भक्षक

दिल्ली के १६ दिसम्बर के गैंगरेप के बाद जहाँ पुलिस के कार्य–निष्पादन में कुछ सुधार आया है वहीं अरुणाँचल प्रदेश से लेकर राजस्थान और पंजाब, तीनों ही राज्यों में स्वंय पुलिस द्वारा महिलाओं पर यौन हिंसा करने की घटना हुई है। ऐसे केसों के बारे में जानकर समस्त देश की पुलिस पर से विश्वास उठ जाता है। जो थोड़ा सुरक्षा का अहसास पैदा हुआ था उस पर फिर से प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि पुलिस को मदद के लिए पुकारने पर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वह मदद ही करेंगे।

अरुणाँचल प्रदेश के लौंगडिंग ज़िले में भारतीय रिज़र्व बटालियन के एक कांस्टेबल ने छठी कक्षा की एक छात्रा को ज़बरदस्ती शराब पीने के लिए मजबूर किया और फिर उसका बलात्कार करके उसे सर्किट हाऊस के बाहर फेंक दिया। लडकी के होश में आने के बाद उसे डॉक्टरी जाँच के लिए भेजा गया और लोगों ने थाने का घेराव करके कांस्टेबल के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की और उसे डॉक्टरी जाँच के लिए ले जाते समय मारा भी तब पुलिस को हवा में फ़ायर करना पड़ा।

दूसरे केस में २ मार्च को, तम तरन, पंजाब में एक महिला ने एक ट्रक वाले द्वारा छेड़खानी किये जाने पर पुलिस की मदद मांगी तो पुलिसकर्मियों ने उस महिला को ही बुरी तरह लाठी से मारा–पीटा, दुर्व्यवहार किया यह कहते हुए कि छेड़खानी क्या होती है वह उसे बताएंगे। इस घटना को किसी ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और यह केस मीडिया द्वारा सबके सामने आ गया। सच्चाई दिखने के बावजूद प्रदेश पुलिस, दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में आना कानी करती रही। इसके बाद उच्चतम न्यायालय के संज्ञान के बाद एस.पी. द्वारा इंक्वायरी हुई तब जाकर एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल के विरुद्ध भ.द.सं. की धारा ३५४,३२३,५०६,१४८,१४९ और अनु.जा. व अनु.जन. अधि. की धारा ३,४ के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है और गिरफ़्तारी का आदेश भी इन दोनों के विरुद्ध दे दिया गया है। हालांकि, दो के अलावा बाकि सम्बद्ध पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही के बारे में कोई सूचना पुलिस ने नहीं दी है।

एक तरफ़ तो कुछ पुलिसकर्मियों ने स्वंय इतने गंभीर अपराध किये और दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बावजूद पुलिस कानूनी कार्यवाही भी नहीं करना चाह रही है। पूरी घटना पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े करती है कम से कम दोषियों को उचित दण्ड दिलवाने के लिए अपने दायित्वों का निर्वाह करके पुलिस को अपनी गलती सुधारनी चाहिए थी ताकि जनता में कुछ तो साकारात्मक संदेश पहुँचता लेकिन ऐसा हो इसकी अधिक सम्भावना नहीं दिखती है।

पुलिस की बर्बरता का एक और उदाहरण राजस्थान के कोटा ज़िले में ७ मार्च को देखने को मिला जब दो निलंबित पुलिसकर्मियों ने एक मोटर साईकिल सवार युगल को रोककर उनकी गाड़ी के कागज़ चेक किये और फिर उन्हें यह कह कर पुलिस सीमा चौकी पर ले गये कि वे संदिग्ध अवस्था में घूम रहे थे। वहाँ ले जाकर लड़के को उन्होंने बहुत मारा और फिर २० वर्षीय लड़की जोकि मेडिकल की कौचिंग कर रही थी, उसके साथ बलात्कार किया।

हालांकि, रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उनमें से एक को पकड़ लिया गया है जबकि दूसरे की तलाश पुलिस कर रही है।

डपरोक्त तीनों ही केसों में महिलाओं के साथ अपराध करने वाले लोग स्वयं पुलिस के हैं। कहीं उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है तो कहीं उचित तरीके से ऐसा किसा जाएगा, इसकी भी आशा कम ही दिखाई पड़ती है। शायद ऐसे ही उदाहरणों के कारण कई बार जनता स्वयं कानूनों को तोड़ने लगती है और ऐसे ही व्याप्त आक्रोश के कारण हाल के दिनों में कई उदाहरण पुलिस पर हमले के भी देखने को मिले हैं। हालांकि, ऐसे हमले करने का अधिकार जनता को भी कानून ने नहीं दिया है लेकिन पुलिस बल को अपने बल के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में झिझकना नहीं चाहिए बल्कि उचित कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए ताकि जनता का विश्वास पुलिस पर से पूरी तरह न उठ पाए।

(सौजन्य : इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम ६ मार्च, डक्कन हेराल्ड डॉट कॉम, ११ मार्च २०१३, पंजाब न्यूज़ लाईन डॉट कॉम, ११ मार्च २०१३)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी-११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली-११००१७, भारत
टेली :. ९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स :. ९१ ११ २६८६४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org